यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 119/2020

मांगीलाल पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल

.......वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 03.11.2020 निर्णय दिनांक : 15.06.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 446 खसरा नं0 1795 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1844 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1870/4766 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1954 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 846 रकबा 1.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम मांगीलाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर धन्नालाल पुत्र मथुरालाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र मथुरालाल है। जिसको वादी धन्नालाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर मांगीलाल पुत्र मथुरालाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड में मांगीलाल पुत्र मथुरालाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में धन्नालाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर मांगीलाल पुत्र मथुरालाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम धन्नालाल पुत्र मथुरालाल के स्थान मांगीलाल पुत्र मथुरालाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2022/274 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार मांगीलाल पुत्र मथुरालाल जाति माली को धन्नालाल पुत्र मथुरालाल जाति माली के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम धन्नालाल उर्फ मांगीलाल पुत्र मथुरालाल जाति माली एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम धन्नालाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर धन्नालाल उर्फ मांगीलाल पुत्र मथुरालाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं एवं मदनमोहन पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी मांगरोल के आधार पर आराजी खाता संख्या 446 खसरा नं0 1795 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1844 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1870/4766 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1954 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 846 रकबा 1.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम धन्नालाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर धन्नालाल उर्फ मांगीलाल पुत्र मथुरालाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner